Web copy of civil court Katihar

Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 270/2026, Korha P.S. Case No.- 320/2025
Guddu Yadav V/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P.No. 270/2026
Korha P.S. Case No.- 320/2025

1. गुड्डु यादव पिता ललवा यादव, उ0त0 25 वर्ष,
   निवासी सा0 ग्रामः– नया टोला जुराबगंज, थाना– कोढा,
   जिला– कटिहार ....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री .....सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री...प्रतीक शर्मा।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 07-04-2026 आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 30.12.2025 से काराधीन उपरोक्त अभियुक्त की ओर से दिनांक 09.03.2026 को विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक प्रियरंजन पासवान परि0 पु0 अ0 नि0 कोढ़ा ने थानाध्यक्ष कोढ़ा को एक टंकित आवेदन देते हुए कथन किया है कि ग्राम नया टोला जुराबगंज जो अपराध की दुनिया में कोढ़ा गैंग के नाम से जाना जाता है। कोढ़ा गैंग के अपराधी मुख्य रूप से चोरी का मोटरसाईकिल का प्रयोग कर देश के विभिन्न स्थानों पर लूट चोरी एवं छिनतई करते हैं। वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज दिनांक 29.12.2026 को विभिन्न काण्डो में कोढ़ा गैंग के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु ग्राम नया टोला जुराबगंज वार्ड नं0 1 में विशेष छापामारी की गयी। छापामारीदल के रूप में वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय द्वारा मुझे थाना के पुलिस पदाधिकारी पु0 अ0 नि0 नन्दन कुमार सिंह एवं रात्री गस्ती के पुलिस पदाधिकारी पु0अ0नि0 सुजीत कुमार मिश्रा को नया टोला जुराबगंज वार्ड नं0 01 को बाहर के तरफ से घेराबंदी करने का निर्देष प्राप्त हुआ। उक्त निर्देष के आलोक में पु0अ0नि0 नंदन कुमार सिंह एवं रात्रि दल के साथ ग्राम नया टोला जुराबगंज वार्ड नं0 1 में छापामारी की कार्रवाई की जा रही थी। तभी समय करीब 03.10 बजे ग्राम नया टोला जुराबगंज वार्ड नं0 01 के तरफ से श्याम धर्म कांटा के सामने एन0एच0 31 की ओर आते हुए एक मोटरसाईकिल पर दो सवार व्यक्ति जो एनएच 31 पर पुलिस और पुलिस वाहन को देखकर अपना मोटरसाईकिल तेजी से भगाकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें साथ के सशस्त्र बल के सहयोग से मोटरसाईकिल से भाग रहे दोनों व्यक्ति को मोटरसाईकिल सहित कब्जे में लिया तथा कब्जे में लिए व्यक्ति से बारी–बारी से नाम पता पूछने पर अपना नाम पता गड्डु यादव, अभय यादव, बताया। भागने का कारण पूछने पर उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हमलोग के गांव में पुलिस की छापा पड़ी है तथा हमलोग पर भी पूर्व से कई केश चल रहा है तथा पास में चोरी का मोटर साईकिल होने के कारण पकड़ाने के डर से भाग रहे थे। उक्त दोनों व्यक्ति से मोटरसाईकिल के संबंध में कागजात की मांग करने पर दोनों व्यक्ति के द्वारा कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया तथा बताया गया कि यह मोटरसाईकिल चोरी की है, जिसे हम दोनों के द्वारा करीब 02 माह पूर्व नवगछिया से चोरी किया गया है। इसी मोटरसाईकिल से विभिन्न स्थानों पर चोरी एवं छिनतई करते हें तीन–तीन चार माह के बाद चोरी किये हुए मोटरसाईकिल को हटा फेंक देते हैं तथा

दूसरा मोटरसाईकिल चोरी कर उस मोटरसाईकिल से चोरी एवं छिनतई का कार्य करने लगते हैं। अधिक रात्रि होने के कारण श्याम धर्मकांटा दयाल पशु आहार के पास कोई भी स्थानीय व्यक्ति या राहगीर उपस्थित नहीं थे। मजबूरन साथ गये गृहरक्षक सिपाही कन्हैया लाल यादव, उमेश यादव को स्वतंत्र साक्षी मानते हुए अपना तथा अपने दल का विधिवत जमा तलाशी देते हुए पकड़ाये दोनों व्यक्ति का जमा तलाशी लिया गया तो उक्त दोनों व्यक्ति के पास से काला उजले रंग का बजाज पल्सर 220 मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नं0 BR-38N-9872 chasis no MD 2A 13 EY1HCG 78 आगे का अंक घिसा हुआ Engine No DKYCHG 677 आगे का अंक घिसा हुआ बरामद किया गया। बरामद मोटरसाईकिल के संबंध में पुनः दोनों व्यक्ति से कागजात की मांग करने पर उक्त दोनों पकड़ाये व्यक्ति के द्वारा कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। मोटरसाईकिल का रजि0 नं0 एवं चेचिस नं0 के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा बताया गया कि चोरी का मोटरसाईकिल होने के कारण उक्त मोटरसाईकिल का मूल रजि0 नं0 को हटाकर उसके स्थान पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा दिये हैं तथा चेचिस नम्बर एवं ईजन नं0 का कुछ अंक मिटा दिये है। तत्पश्चात बरामद सामान का विधिवत जब्तीसूची तैयार किया गया ।

3. नियमित जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक इस मामले में दिनांक 30.12.2025 से काराधीन है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का इस मामले के अतिरिक्त अठारह अन्य मामले में नाम है। इस वाद में अनुसंधान अभी चल रहा है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। जब्तीसूची के सभी साक्षी पुलिस बल के सदस्य हैं तथा कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। कोई भी व्यक्ति तथाकथित वाहन के स्वामित्व का दावा करने के लिए नहीं आया है। आवेदक स्थानीय तथा साधन सम्पन्न व्यक्ति है तथा उसके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।
5. विद्वान अपर लोक अभियोजक कटिहार सरदार यशवंत सिंह द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि परि0पु0अ0नि0 अभय रंजन पासवान के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध कोढ़ा थाना कांड संख्या– 320/2025 दिनांक 29.12.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 317(4), 317(5), 336(3), 338, 340(2), 3(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। आवेदक के पास से मोटरसाईकिल रजि0 नं0 BR 30 M 9872 बरामद किया गया है, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 509/2025 दिनांक 31.12.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(4), 317(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5) में समर्पित किया गया है, जिसके आधार पर आरोपित धाराओं में दिनांक 06.02.2026 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 2, 3, 4, 5, 6 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है। आवेदकगण के पास से बरामद मोटरसाईकिल चेचिस नं0 एवं ईंजन नं0 पूर्ण अंकित नहीं होने के कारण वाहन के स्वामित्व का सत्यापन नहीं किया जा सका है।

Web Copy of Civil Court Katihar

कांड दैनिकी के कंडिका 24,25,26 एवं 27 से विदित है कि अभियुक्त गुड्डु यादव के विरूद्ध इस कांड के अतिरिक्त 1. के0 हाट (मरंगा) थाना कांड संख्या– 426/2020 दिनांक 20.08.2020 अन्तर्गत धारा 379 भा0द0वि0, 2. कोढा थाना कांड संख्या– 478/2020 दिनांक 22.10.2020 अन्तर्गत धारा 414, 420/34 भा0द0वि0, 3. राजीव नगर (पटना) थाना कांड संख्या– 425/दिनांक 02.07.2025 अन्तर्गत धारा 304 भारतीय न्याय संहिता, 4. राजीव नगर (पटना) थाना कांड संख्या– 426/दिनांक 02.07.2025 अन्तर्गत धारा 304 भारतीय न्याय संहिता, 5. नगर थाना (सारण) कांड संख्या– 705/2024 दिनांक 06.12.2024 अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 6. भगवान बाजार (सारण) थाना कांड संख्या– 600/2024 दिनांक 21.11.2024 अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 7. मनेर (पटना) थाना कांड संख्या– 64/2025 दिनांक 24.01.2025 अन्तर्गत धारा 304(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 8. कोढा थाना कांड संख्या– 320/2025 दिनांक 29.12.2025 अन्तर्गत धारा 318(4), 317(4), 317(5), 336(3), 338, 340, 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता अंकित है। 9. राबर्टसगंज थाना जिला सोनभद्र उ0प्र0 थाना कांड संख्या– 247/2022 दिनांक 05.04.2022 अन्तर्गत धारा 379, 411 भा0द0वि0, 10. मैनी थाना जिला प्रयागराज उ0प्र0 थाना कांड संख्या– 1463/2018 दिनांक 14.12.2018 अन्तर्गत धारा 392, 411, 420 भा0द0वि0, 11. सरैया थाना (जिला– गिरीडीह झारखंड) कांड संख्या– 57/2025 दिनांक 25.04.2025 अन्तर्गत धारा 304(2), 3(5), 12. सुती थाना जिला मुर्सीदाबाद प0 बंगाल थाना कांड संख्या– 322/2024 अन्तर्गत धारा 392 भा0द0वि0, 13. बरजो बाजार थाना जिला पुरूलिया प0 बंगाल थाना कांड संख्या– 2395/2022 धारा 379 भा0द0वि0, 14. खरगपुर नगर थाना (जिला वेस्ट मेदनीपुर, वेस्ट बंगाल) कांड संख्या– 44/2024 अन्तर्गत धारा 392, 402 भा0द0वि0, 15. डेबरा (जिला– मेदनीपुर, वेस्ट बगाल) थाना कांड संख्या –229/2023 अन्तर्गत धारा 379 भा0द0वि0, 16. चन्द्राकोना थाना (जिला वेस्ट मेदनीपुर, वेस्ट बंगाल) थाना कांड संख्या– 167/2023 अन्तर्गत धारा 379 भा0द0वि0 17. गढ़बेटा थाना (जिला वेस्ट मेदनीपुर वेस्ट बंगाल)थाना कांड संख्या– 550/2024 अन्तर्गत धारा 392, 379 भा0द0वि0 एवं 18. बोबाजार थाना (जिला कोलकाता वेस्ट बंगाल) थाना कांड संख्या– 15/2024 अन्तर्गत धारा 379 दर्ज पाया गया है। जलालगढ़ थाना जिला पूणियां बिहार थाना कांड संख्या– 339/2018 अन्तर्गत धारा 392 भा0द0वि0 दर्ज है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आवेदक एवं सह अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 509/2025 दिनांक 31.12.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(4), 317(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5) के अन्तर्गत समर्पित किया गया है। आवेदक गुड्डु यादव के विरूद्ध दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों से विदित है कि वह एक गंभीर आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से विदित है कि कांड दैनिकी में आवेदक के विरूद्ध कुल 19 मामले दर्ज पाये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक गुड्डु यादव एक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, उसके विभिन्न आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे बंधपत्र पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, तदनुसार आवेदक गुड्डु यादव द्वारा दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 09.03.2026 को न्यायहित में खारिज किया जाता है।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	07-04-2026
Date of Reserving order	07-04-2026
Date of uploading	08-04-2026
Uploaded by	Raj Roy (B.C.)

Web copy of Civil Court, Katihar

Web Copy of civil Court, Katihar